संख्या-383/2016/207(1)/23-11-2016-1/2(270)/2015

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद बदायूं में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-33) के किमी0 102.115 से 131.000 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.285 किमी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार किमी0 102.115 से 114.200 तक मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को सम्मिलित करते हुए) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-2139/पी0जे011/15पी0जे0(1)/15, दिनांक 18-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूं में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-33) के किमी0 102.115 से 131.000 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.285 किमी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार किमी0 102.115 से 114.200 तक मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को सम्मिलित करते हुए) कार्य की मूल लागत की स्वीकृति शासनादेश सं0-499(1)/23-11-2015-1/2(270)/2015, दिनांक 31-03-2016 द्वारा लागत रू0 5297.28 लाख प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य की निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुमोदित लागत रू0 9582.65 लाख (रूपये पचानवे करोड़ बयासी लाख पैसठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	बदायूँ	जनपद बदायूं में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-33) के किमी0 102.115 से 131.000 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.285 किमी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार किमी0 102.115 से 114.200 तक मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को सम्मिलित करते हुए) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	5297.28	9582.65

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग को होगा।

(3) विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-लम्बाई/चौड़ाई बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय-वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा तथा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत वन भूमि से सम्बन्धित आवश्यक वैधानिक अनापत्ति/प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाय।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

(8) उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-499(1)/23-11-2015-1/2(270)/2015, दिनांक 31-03-2016 के शेष प्रतिबन्ध शर्ते यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-3288/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा है।

भवदीया,

(डॉ0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-383/2016/207(1)/23-11-2016-1/2(270)/2015 -तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल/जिलाधिकारी, बदायूँ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बरेली क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, बरेली।
5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1,उ0प्र0 शासन।
6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।